न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–27/2021

रामजी चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राजदेव चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.02.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 09.12.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 02.02.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण की तरफ से संशोधन आवेदन आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 09.12.2021 को दाखिल किया गया था। वादीगण ने वादपत्र के मद सं0–02 में भूमि का विवरण दिया है जो वादीगण के हकियत व कब्जें की जायदाद है। मद सं0–02 का अंश मद सं0–02(क) है। जो प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि है जिसकी खाता सं0–47 खेसरा–54 वादीगण का बगीचा है। इसके अलावे खाता सं0–47 खेसरा–701 में भी वादीगण का भिलोर, सेमर, शिशम तथा अन्य पेड़ है जिससे नालिश में मुंदर्ज करना छुट गया है। जिसे संशोधन के माध्यम से जोड़ना आवश्यक है। वाद अभी प्रतिवादीगण की उपस्थित हेतु चल रहा है। वादीगण के द्वारा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 ता 08 की ओर से दिनांक 09.05.2022 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का आवेदन खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण के द्वारा संशोधन आवेदन में यह कहना गलत है कि मद सं0–02 नालिश में दी गयी भूमि वादीगण के हकियत व कब्जें की जायदाद है। संशोधन आवेदन में यह कहना कि विवादित खेसरा में पेड़–पौधे दर्ज होना वादपत्र में छुट गया है, लेकिन किस	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–27/2021

लगातार 02.02.2023	कारण से छुट गया? यह स्पष्ट नही है। वादीगण एवं वादीगण के पिता का विवादित भूमि से कभी कोई सरोकार नही रहा है। वादीगण के द्वारा गलत तथा बनावटी तथ्यों के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा लाया गया है। अतः वादीगण का संशोधन आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। वादीगण के द्वारा अगर सम्यक तत्परता बरती गयी होती तो यह संभावित है कि उक्त संशोधन की आवश्यकता नही पडती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 14.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	